

(च) प्रोत्साहन

इस पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण लेने वाले कर्मचारियों के लिए यह माना जाता है कि वे अपना प्रशिक्षण निजी तौर पर कर रहे हैं। नियमानुसार वे एकमुश्त पुरस्कार, वैयक्तिक वेतन तथा नकद पुरस्कार पाने के हकदार होते हैं।

(का० ज्ञा० सं०-19015/4/90-प.पा./केहिप्रसं दिनांक 15-5-1990)